क्रम संख्या–151

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2006 ई0
आश्विन 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 839/विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग/2006
देहरादून, 17 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 12, सन् 2006 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2006)

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 (8–क) का लोप

2. समय–समय पर यथा संशोधित एवं उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 का खण्ड (8–क) का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 168–क का लोप

3. मूल अधिनियम की धारा 168–क का लोप कर दिया जायेगा।

धारा 178, 179, 180, 181 और 182 का लोप

4. मूल अधिनियम की धाराओं क्रमशः 178, 179, 180, 181 और 182 का लोप कर दिया जायेगा।

विशेष उपबन्ध

5. किसी भूमि के टुकड़े के किसी संक्रमण को जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विद्यमान था और जो धारा 168–क के अधीन शून्य हो गया हो एवं जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गयी थी, शून्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, जमा करके विधिमान्य करा सकता है:

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध प्रस्तावित अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जायेंगे:

परन्तु यह और कि उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत 500 वर्ग मी0 से अधिक भूमि क्रय करने के मामलों के निर्धारित अनुमति की अनिवार्यता पूर्ववत् बनी रहेगी।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 15, 2006.

No. 839/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, October 17, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ACT, 2006

(UTTARANCHAL ACT NO. 12 OF 2006)

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttaranchal

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-seventh year of the Republic of India as follows :--

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2006.

(2) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

Omission of Section 3(8-A)

2. Clause (8-A) of section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as amended from time to time and as applicable in the State of Uttaranchal (hereinafter referred to as the principal Act) shall be omitted.

Omission of Section 168-A

3. Section 168-A of the principal Act, shall be omitted.

Omission of Section 178, 179, 180, 181 and 182

4. Section 178, 179, 180, 181 and 182 respectively of the principal Act shall be omitted.

Special Provision

5. Any transfer of fragment of land which had become void under Section 168-A as it stood before the commencement of this Act and which had not been entered in Revenue Record, in favour of State Government, shall be deemed to have been voidable and any person may get such transfer validated by depositing such fee and with in such time and in such manner as may be notified by the State Government:

Provided that the above provisions shall cease to be in force after expiry of one year from the date of commencement of this Act:

Provided further that for the purchase of land in excess of 500 Sq.mts., the permission as prescribed under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act. 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003 shall continue to remain in force.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH.
Secretary.

0एस0यू0 (आर0ई0) 27 विधायी / 512–2006–100+400 (कम्प्यूटर / रीजियो)।